

कार्यालय:- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दौसा, जिला दौसा (राज.)

क्रमांक:-स्था./2025/ 05

दिनांक: 17.1.25

//रिमाण्ड ड्यूटी बाबत संशोधित कार्यालय आदेश//

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-13(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं उमेश वीर आर.जे.एस. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दौसा न्यायिक अधिकारीगण की आपसी सहमति के आधार पर इस कार्यालय के आदेश क्रमांक: 06 दिनांक 10.01.2025 में आंशिक संशोधन करते दिनांक 19.01.2025 की श्रीमती रचना बालौत विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट, एन.आई.एक्ट, दौसा की रिमाण्ड ड्यूटी व प्रोटोकॉल ड्यूटी निरस्त करते हुए इनके स्थान पर श्री रविकान्त मीना अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम संख्या -02 दौसा को दिनांक 19.01.2025 रिमाण्ड ड्यूटी/ प्रोटोकॉल ड्यूटी के लिए अधिकृत किया जाता है।

नोट:-शेष आदेश यथावत रहेगा।

(उमेश वीर)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
दौसा, जिला-दौसा (राज.)

क्रमांक:- 199

दिनांक:- 17.1.25

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 01- माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, दौसा
- 02- श्रीमान् पुलिस अधीक्षक, दौसा वास्ते सूचित करने समस्त आरक्षी केन्द्र
- 03- श्रीमान सचिव महोदय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दौसा
- 04- सम्बन्धित अधिकारी सर्व श्री
- 05- प्रोटोकॉल अधिकारी, जिला न्यायालय दौसा
- 06- लोक अभियोजक, जिला न्यायालय दौसा
- 07- अध्यक्ष/सचिव बार एसोसिएशन, न्यायालय परिसर दौसा
- 08- उप- निदेशक, अभियोजन विभाग दौसा
- 09- प्रभारी अधिकारी, पुलिस कंट्रोल रूम दौसा
- 10- जिला कारागृह दौसा
- 11- सिस्टम ऑफीसर जिला न्यायालय दौसा सभी पीठासीन अधिकारियों एवं न्यायालय को मेल करें तथा जिला न्यायालय दौसा की वेबसाईट पर इस आदेश को अपलोड करें।
- 12- आदेश पत्रावली/नोटिस बोर्ड

उमेश वीर
(उमेश वीर)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
दौसा, जिला-दौसा (राज.)